महिला उद्यमिता विकास

प्रा.डॉ. ज्योती जी. नाकतोडे
सहयोगी प्राध्यापक
आठवले समाजकार्य महाविद्यालय,
भंडारा.
jyotinaktode73@ redifmail.com

सारांश : किसी भी देश को आगे बढाने के लिए समाज के सभी वर्ग का सशक्तीकरण होना आवश्यक है। देश का विकास सुनिश्चित करने में महिला सबसे अहंम माध्यम है। शिक्षा व आर्थिक स्वावलंबन महिला सशक्तीकरण के प्रमुख साधन है। देश में शिक्षा, पंचवार्षीक योजना, निती, रा ट्रीय महिला को ा, बॅकों की विविध योजना, औद्योगिक निती के माध्यम से महिला उद्योजिता को आगे बढाने का प्रयास ुरू है। महिला उद्यमिता को आगे बढाने के लिए परामर्श, निदर्शन, सुक्ष्म ऋण, स्वंय सहाय्यता समुह ऋण, कौशल्य व रोजगार प्रशिक्षण इत्यादी महत्वपूर्ण है। आज महिला उद्यमिता के क्षेत्र मे आगे आ रही है। पुरूष के साथ कधे से कंधा मिलाकर सभी क्षेत्रो में अपना वर्चस्व दिखाती है। महिलांओं के सशक्तीकरण से पूरी परिवार का सशक्तीकरण होता है। महिलांओं के आर्थिक विकास से परिवार, समुदाय व देशके विकास को तीव्र गती मिलती है।

Key wards : महिला उद्योजक, योजना, औद्योगिक निती, सुझाव

किसी भी देश का विकास उस समाज में उपलब्ध मानव संशाधनों की कार्यक्षमता, कुशलता, सामर्थ्य गुणवत्ता व शिक्षा की स्थिति आदि पर निर्भर करता है। महिलांओ की पूरी भागिदारी/सहभागिता के बिना समुदाय का सामाजिक विकास असंभव है। घरेलू उत्पादन में वृध्दी के लिए महिला उद्योजकता को बढावा देना आवश्यक है। जिस देश ने महिलाओं की कार्यक्षमता को समझ किया उस देश का विकास तीव्र गती से हुआ है। आज महिलांए विभिन्न क्षेत्रों में पुरू ाो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। विज्ञान व तंत्रज्ञान के युग मे महिलांओं ने सेना से लेकर संसद तक अपनी भागीदारी निश्चित की है।

Soniya Gandhi.

"Investment in women is the highest return venture. It is not just about improving things for them, it is vitally about letting women improve things for themselves, their families, their communities and the world at large. Even a small investment in women has great economic polictical and social reveration."

महात्मा गांधीजी स्त्रियों को आत्मनिर्भर के प्रवर्तक थे। गांधीजी स्त्रियो को रोजगार मुलक शिक्षा देने के पक्ष मे थे। स्त्रिया आर्थिक रूप से सक्षम होगी तो उनके माता–पिता को लडकियो के लिए योग्य वर ढूढने मे कठिनाईयों कम होती है। उसी प्रकार सोनिया गांधी द्वारा कहे गए कथन के अनुसार महिलाओं के आर्थिक रूप से स्वावंलबी होने से केवल महिला का विकास नही होता है, उसमे साथ कुटुंब, समाज, देश का विकास होता है।

आज जागतिक स्तर पर महिलाओं की प्रत्येक क्षेत्र में सहभागिता बढी है। सरकार व समाज के प्रयासो के कारण महिलाएं फुटकर व्यापार, रेस्टोरेंट, होटल, ब्युटीपार्लर, फॅशन डिजाइन, ऑटो मोबाइल, हस्तशिल्प, कृषी, कुटीर उद्योग, कम्प्युटर साफ्टवेअर आदि क्षेत्रों में अपनी योग्यता दिखा चूकी है। आज महिलांए प्रशासकीय, शैक्षणिक, धार्मिक, राजकीय, फिल्म, उद्योग इत्यादी क्षेत्र में अपना कौशल्य दिखा रही है। सामान्य दृष्टिकोन से महिला उद्यनी से तात्पर्य जनसंख्या के उस भाग से लिया जाता है, जो औद्योगिक क्रियाओ में नवाचार तथा सहासिक गतिविधीयों में संलग्न महिलांए है। सरकारी दृष्टिकोन महिला उद्यमी से तात्पर्य उस महिला से है जो एक ऐसे उपक्रम की प्रवर्तक, संचालक और नियंत्रक है, जिसमे न्युनतम ५१: पूंजी पर उस महिला का वित्तीय हित निहित है। उस उद्योग में ५१: महिलांओ को रोजगार दिया जाता है।

महिला उद्यनिता को बढाता देने के लिए स्वतंत्रता के पश्चात सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना के माध्यम से प्रयास सुरू है। पिछले तीन दशकों से हमारे देश में महिला उद्यमिता को बढाता देने के लिए विशे ा प्रयास किए जा रहे है। केन्द्र सरकार द्वारा महिला उद्यमियों के लिए विशिष्ट योजनाएं संचालित की जा रही है। सरकारी बॅको द्वारा भारी रियायती दरो पर आसान व आकर्षक शर्तो पर पूंजी उपलब्ध करवायी जा रही है।

महिलांओ उद्योजक विकास की प्रमुख योजना:

१) अन्नपूर्णा योजना :

स्टेट बॅक ऑफ म्हैसूर की इस योजना में फूड केटरिंग उद्योग से जूडी महिला उद्यमियों को ५०,००० रू. तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। कर्ज देते समय जमानतदार की आवश्यता नही एवंम छत्तीस महिनों मे कर्ज वापस करना पडता है। व्याजदर बॅक के नियमानूसार होते है। इस उद्योग मं संलग्न महिलाओं को डिब्बा बंद भोजन, स्नैक्स आदि के लिए बर्तनों के साथ–साथ रसोई में प्रयुक्त होने वाले अन्य औजार व उपकरण सामग्री खरीदने के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में बॅको से ऋण प्राप्त कर सकती है।

२) स्त्री शक्ती पॅकेज योजना :

भारतीय स्टेट बॅक की इस योजना में उन महिलाओं को धन उपलब्ध करवायाा जाता है, जो राज्य सरकार द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमों (Enterpreneurship Development Programme-EDPs) में भाग लेती है तथा किसी फर्म या व्यवसाय के ५० प्रतिशत अंशो पर स्वामित्वधिकार रखती है। इस योजना में २ लाख रू. से अधिक राशी का ऋण लेनेवाली महिलाओं को व्याज दर में ०.५० प्रतिशत की छुट भी प्रदान की जाती है।

३) भारतीय महिला बॅक व्यवसाय ऋण :

अधिकतम २० करोड रूपए तक का ऋण उपलब्ध किया जाता है व व्याज दर में ०.२५: की छुट रहती है। सूक्ष्म ऋण व एस.एम.ई. ऋण ;डष्ब्व ंदक ैडम्स स्वंदेद्धए सम्पत्तियों के विरूध्द ऋण, फुटकर कारोबार के लिए ऋण तथा अन्य नवाचार एवं साहसिक विनिनिर्माणकारी गतिविधीयों के लिए ऋण दिया

जाता है। इस योजनान्तर्गत १ करोड रू. तक के ऋण के लिए समपार्श्विक ;ब्वससंजमतंस ैमबनतपजलद्ध प्रतिभूति की आवश्यकता नही है।

४) देना ाक्ती योजना :

देना बॅक द्वारा शुरू की इस योजना में उन महिला उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान की जाती है, जो रिटेल स्टोर, कृ ाी कार्यों, सूक्ष्म साख ;डपबतव ब्तमकपजद्ध तथा अन्य लघु उपक्रमों को संचालित करने के लिए धनराशि की जरूरत महसूस करती है। इस योजनान्तर्गत माइक्रो क्रेडिट व्यवसाय के लिए ५०,००० रू. तथा गृह निर्माण, शिक्षा आदि से जूडे उपक्रमों के लिए ५०,००० लाख रू. तक का अधिकतम ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। २० लाख लोन लेने पर व्याजदर में ०.२५ प्रतिशत की रियायत दी जाती है।

५) उद्योगिनी योजना :

पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक द्वारा संचालित उद्योगिनी योजना से देश में लघु महिला उपक्रमों को प्रोत्साहित करने तथा युवा महिला उद्यमियों को कृ ाी क्षेत्र से सम्बध्द करने के उद्देश्य से इस योजनान्तंगत १८ ते ४५ साल की महिलाओं को १ लाख रूपए का ऋण कम व्याजदर पर उपलब्ध करवाया जाता है।

६) सेंट कल्याणी योजना :

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित इस योजनान्तंगत उन महिला उद्यमियों को १ करोड रूपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में नविन लघू एवं कुटीर उद्योगों, कृषी एवं कृषि से सम्बध्द गतिविधीयों, फुटकर व्यापार, स्व रोजगार, अथवा सरकार द्वारा संरक्षित कार्यक्रमों व योजनाओं का संचालन करना चाहती है अथवा उपर्युक्त क्षेत्रों मे पहले से विद्यमान कारोबार के विकास व विस्तार के लिऐ प्रयत्नशील है। इस योजना में ऋण प्राप्त करनेवाली महिला उद्यमियों के लिए किसी भी प्रकार की समपार्श्विक ;ब्वससंजमतंस ैमबनतपजलद्ध प्रतिभूति अथवा प्रतिभूति की आवश्यकता नही होती है।

७) महिला उद्यम निधी योजना :

पंजाब नेशनल बॅक द्वारा संचालित इस योजना में उन महिला उद्यमियों को १० साल की पुनर्भुगतान अवधि के साथ उदार ऋण ैवजि स्वंदद्ध उपलब्ध करवाया जाता है। जो लघु स्तरीय उद्योगों में सलग्न है। इस योजनान्तंगत ऑटो रिक्शा, टू–व्हिलर्स, कार आदि क्रय करने, डे केयर सेन्टर संचालित करने, ब्यूटी पार्लर ाुरू करने, अन्य लघू स्तरीय उपक्रम संचालित करने के लिए उद्यमियों को १० लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

८) ओरिएण्ट महिला विकास योजना :

ओरिएण्टल बॅक ऑफ कॉमर्स द्वारा संचालित इस योजना में उन महिलांओ को ऋण सहायता प्रदान की जाती है जो वैयक्तीक अथवा संयुक्त रूप से किसी उपक्रम की ५१ प्रतिशत अंश पूंजी पर मालिकांना हक रखती है। जो महिला उद्यमी लघु स्तरीय उद्योग ाुरू करना चाहती है, उन्हें १० से २५ लाख रूपए

तक के ऋण समपार्श्विक प्रतिभूति (Collateral Security) की आवश्यकता नही होती है और उन्हें ७ साल की पुर्नभूगतान अवधि के साथ ब्याज दर में २ प्रतिशत तक की रियायत भी दी जाती है।

९) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना :

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना में उन महिला उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान की जाती है जो वैयक्तीक रूप से अथवा संयुक्त रूप से टेलरिंग यूनिटस, ब्युटी पार्लर, टयूशन सेंटर्स आदि क्षेत्रों मे नविन लघु उपक्रम और व्यवसाय प्रारम्भ करना चाहती है। इस योजना में भी ऋण प्राप्त करते समय किसी भी प्रकार की समपार्श्विक प्रतिभूति ;ब्वससंजमतंस ैमबनतपजलद्ध की आवश्यकता नही होती है। प्रधान मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु ऋण, किशोर व तरूण ऋण दिया जाता है।

स्टेट बॅक ऑफ इंडिया शाखा भंडारा द्वारा, मुद्रा योजना अंतर्गत जून २०२० से जनवरी २०२१ तक ४८ महिला बचत गट और ४ व्यक्तीगत लोग दिए गऐ है। ८४.८९ लाख रूपये का ऋण दिया है।

१०) जिला उद्योग केन्द्र :

राज्य में उद्योंग को प्रोत्साहित करने के लिए, उद्योग योजना व निती को प्रसारित करने कें लिए देश में उद्योग संचालनालय प्रस्थापित है। उद्योग संचालनालय द्वारा प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में उद्योग केंन्द्र स्थापित है। जिल्हा उद्योग केंन्द्र भंडारा द्वारा प्रधांनमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत २०१८–१९ मे १० महिला, २०१९–२० मे १३ महिला और २०२०–२१ में २१ महिला को उद्योग के लिए ऋण दिया गया है। मुख्यमंत्री रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत २०१९–२० मे ६, २०२०–२१ मे १५ महिला उद्यमी को विभिन्न व्यवसाय के लिए ऋण वितरीत किया गया है।

११) यूनियन नारी शक्ती योजना :

यूनियन बॅक द्वारा शुरू इस योजना में महिला उद्योजक को वस्तू उत्पादन, कच्चा माल खरीदारी, निर्माण, ऑफिस, दुकान, गोदाम, कंपनी का रिनोवेशन इत्यादी के लिए २ लाख से २ करोड तक ऋण दिया जाता है।

महिला उद्योजक के लिए औद्योगिक निती :

महाराष्ट्र सरकार द्वारा महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए दिसंबर २०१७ में महिला औद्योगिक निती की घोषणा की इस औद्योगिक नीती की प्रमुख विशेषतांए निम्न है।

१) औद्योगिक निती के क्रियान्वय से आगामी ५ सालों में २००० करोड का विनियोग किया जाएगा व १ लाख महिलांओ को रोजगार मिलेगा।
२) महिला उद्यमिता विकास के लिए २०१८–१९ में ६४८ करोड का बजट रखा गया था।
३) प्रत्येक महिला को रियायती व्याज दर पर व्यवसाय में विनीयोजित करने के लिए १५ लाख से १ करोड रूपये तक ऋण देने का प्रावधान है।

४) महिला उद्यमियों के लिए संचालित परियोजना में विद्युत आपूर्ती दर १–२ रू. प्रति युनिट सुनिश्चित की गई है।

५) राज्य के महिला व बाल विकास विभाग द्वारा महिला उद्यमियों के लिए ५० करोड का कोष रखा जाएगा।

६) राज्य के वाणिज्य कॉम्पलेम्स, बाजारो में महिला उद्यमियो के लिए कुछ दुकान, स्थल आदि रिजर्व रखी जाएगी।

७) महारा ट्र औद्योगिक विकास निगम के अधीन आगे वाली जमीन का कुछ हिस्सा राज्य की महिला उद्यमियो के लिए रिजर्व रखा जाएगा।

महिला उद्यमियो को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना :–

१) महिलाओ को उनके घर के पास प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराऐ ।

२) औद्योगिक कार्य मे लिए दिए जानेवाले कुल बॅंक ऋण का एक निश्चित भाग महिलांओ के लिए सुनिश्चित करना आवश्यक है।

३) महिला उद्यमिता के लिए बनाई नई सरकारी नीती व कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार–प्रसार करे।

४) उच्च माध्यमिक स्कुल व कॉलेज में महिला उद्यमिता शिक्षा को पाठयक्रम मे समावेश किया जाए।

५) महिलाओं को उद्यमिता ऋण मे साथ–साथ उनके उत्पादन को बाजार में विक्री के लिए भी प्रयास जरूरी है।

वर्तमान मे महाआघाडी सरकार द्वारा महिला उद्योजक को प्रोत्याहित देने के लिए कौशल्य विकास विभाग में एक विशे ा कक्ष बनाया है। साथ ही साथ युनेस्को, युनिसेफ एवं एस.एन.डी.डी. महिला विद्यापीठ की महिला प्रतिनिधियों के साथ मिलकर १४ सदस्य समिती बनाई है। नविन शिक्षा निती द्वारा निश्चित ही महिला उद्यमिता को बढावा मिलेगा।

भारत जैसे विशाल देश मे उनके महिला उद्यमियो ने अलग–अलग क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की है। सभी महिला उद्यमियो को सूचीबध्द करना कठिण है। प्रमुख महिला उद्योजक निम्न है।

- **चंदा कोचर :** आय.सी.आई.सी. बॅंक की प्रबन्ध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी.
- **इन्दु जैन :** ज्पउम व िप्दकपं समाचार पत्र की चेयरपर्सन.
- **वन्दना लुथरा :** फिटनेस, स्किन केयर, फूड एण्ड न्युट्रिशन, सौन्दर्यता आदि क्षेत्रो में प्रोडक्ट निर्माण करनेवाली.
- **एकता कुपर :** फिल्म व टेलीविजन निर्माण कंम्पनी में प्रमुख भूमिका.
- **थरचाकर :** महिला शिक्षा प्रदान करने वाले पहले आन लाइन स्टोर ‘जिवा मे’ की फांउडर.
- **अदिती गुप्ता :** महिला जगत में देश की सर्वाधिक लोकप्रिय वेबसाईट डम्छैज्त्न्च्क्प्ण् ब्व्ण् की फ्राउंडर
- **सुलज्जा मोटवानी :** कॉयनेटिक मोटर्स में संयुक्त प्रबंधक निर्देशक का पद.
- **रितु कुमार** : फॅशन डिजाइनिंग में प्रसिध्द नाम
- **ज्योति नायम :** सहकारिता आधारित लिज्जत पापड उद्योग की अध्यक्ष

- **शर्मिला भिंडे :** पूणे मे कम्प्युटर साफ्टवेअर व्यवसाय सुरू किया है। इस कंपनी मे ५०० से अधिक महिला कर्मचारी है।
- **आशा फरेरा :** डिजिटल विपणन कंपनी की संचालक.
- **अमिता सराफ :** एस.ए.व्ही. केमिकल प्रायवॅट लिमिटेड पुणे की संचालिका.
- **मीता मारवेजा :** पुणे में फ्लोर वर्क मेफे व बेकरी संबंधी उद्योग की प्रमुख.
- **वर्षा गोपाले :** इंद्रायणी टेनिकल इन्स्टीटयूट भंडारा, की संस्थापक
- **दिव्या गोगलनाथ :** बायजूस लर्निंग एप की सह सहसंस्थापक
- **अलिना आलम :** ाारीरिक व मानसिक विकलांग को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराती है।
- **जुबेदा बाई :** लो कॉस्ट बर्थ किट बनावाले आइस कंपनी की संस्थापक
- **जिया मोदी :** कॉरपोरेट लॉ मे प्रसिध्द महिला
- **अमिरा शाहा :** मेट्रो पोलिस हेल्थकेअर कोविड–१९ की टेस्टिंग लेब की संचालिका.

भारतीय सामाजिक संरचना में महिला उद्यमियों के प्रति सकारात्मक परिवर्तन आने तथा सरकारी नितियों मे महिला उद्यमियो को विशिष्ट योजनांओ के माध्यम से प्रोत्साहित करने के कारण आज हमारे देश में महिला उद्यमिता का निरंतर विकास हो रहा है। जिन महिलांए को अवसर व परिवार का सहयोग मिला है वहा पर महिलांओ ने अपनी योग्यता सिध्द की है। समाज व रा ट्र के विकास के लिये महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए हरसंभव प्रयास करने की आवश्यकता है। महिलांओ के आर्थिक विकास से परिवार, समुदाय व देश मे विकास को तीव्र गति मिलती है।

संदर्भ सूची –

- यंश मंथन – जनवरी ते मार्च २०१४, यशवंतराव चव्हान विकास प्रकाशन प्रबोधिनी पूणे
- समाज कल्याण मार्च १८, मई १८ व मई १९ केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड प्रकाशित
- योजना अगस्ट २०१८, सुचना व प्रसारण मंत्रालय दिल्ली.
- तेजस्कर पांडे, समाजकार्य के क्षेत्र २०१८, भारत प्रकाशन लखनऊ
- दैनिक भास्कर, ८ मार्च २०२१
- Jagran.com/business/biz nit
- niti .gov.in
- sidb.in/oldsmallb/bank
- Time of india.induan time.com.5 Jan.2017
- New18.com
- Stand up mitra.in